रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082026-275056
CG-DL-E-01082026-275056

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 1, 2026/श्रावण 10, 1948
No. 636] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 1, 2026/SHRAVAN 10, 1948

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 698(अ).— दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61)की धारा 31कक की उपधारा (1) एवं (2) के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड़ो (जेएए) एवं (जेएबी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा प्राधिकरण से परामर्श करने के उपरांत, केंद्र सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (जांच करने तथा शास्तियां अधिरोपित करने की रीति) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ — (1) इन नियमों में, जब तक कि अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) अभिप्रेत है;

(ख) "न्यायनिर्णयन अधिकारी" से अधिनियम की धारा 31कक की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "अपीलीय प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 31कक की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं है, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में उनके लिए नियत है।

3. शिकायतकर्ता — कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 29 तथा धारा 31 की उप-धारा (5) के अधीन किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में न्यायनिर्णयन अधिकारी को शास्तियां अधिरोपित किए जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा स्पीड पोस्ट से प्ररूप-1 में शिकायत फाइल करा सकता है।

4. जाँच करना — (1) अधिनियम की धारा 31कक की उपधारा (1) के अधीन शास्ति के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, इसमें विनिर्दिष्ट किसी धारा के किसी उपबंध के किसी उल्लंघन को दर्शाते हुए किसी शिकायत के प्राप्त होने पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को प्ररूप 2 में नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर (जो कि तामील की तारीख से सात दिन की अवधि से कम न हो) कारण बताना अपेक्षित होगा कि उसके विरुद्ध जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस में, किए गए कथित उल्लंघन की प्रकृति का उल्लेख होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को नोटिस में यथानिर्धारित तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए या उसके द्वारा विधिवत रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के लिए एक नोटिस जारी करेगा।

(4) नियत तारीख को, न्यायनिर्णयन अधिकारी, उस व्यक्ति जिसके विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई है, या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को, उस व्यक्ति द्वारा किए गए उल्लंघन और जिस उल्लंघन के संबंध में आरोप लगाया गया है उसके संबंध में अधिनियम के उपबंधों के बारे में स्पष्ट रूप से समझाएगा।

(5) तत्पश्चात, न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा, उस व्यक्ति को प्ररूप-3 के अधीन ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा, जिन्हें वह जांच के लिए प्रासंगिक समझे और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को किसी आगामी तारीख (पहली तारीख से पंद्रह दिन के अपश्चात् हो और अधिकतम तीन तारीखों तक) तक स्थगित किया जा सकता है और ऐसे साक्ष्य लेने में न्यायनिर्णयन अधिकारी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(6) यदि कोई व्यक्ति उप-नियम (3) के अधीन किए गए उपबंध के अनुसार न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इंकार करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी, ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में, ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के पश्चात्, जांच को आगे बढ़ा सकता है।

(7) यदि, न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात, न्यायनिर्णयन अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम के अनुसार, यथालागू, ऐसी शास्ति लगा सकता है।

(8) उप-नियम (7) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश में इस अधिनियम के उन उपबंधों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनके संबंध में उल्लंघन किया गया है और उसमें शास्ति अधिरोपित करने के कारणों को शामिल किया जाएगा।

(9) उप-नियम (7) के अधीन दिए गए प्रत्येक आदेश पर तारीख अंकित होगी और उस पर न्यायनिर्णयन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

(10) इस नियम के अधीन दिए गए आदेश की एक प्रति और कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां, उस व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के दी जाएंगी, जिसके विरुद्ध जांच की गई थी।

(11) न्यायनिर्णयन अधिकारी, उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध जांच की गई थी, को नोटिस जारी करने के तीन माह के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।

(12) इन नियमों के अधीन जारी किया गया कोई नोटिस अथवा आदेश निम्न में से किसी एक रीति से उस व्यक्ति को दिया जाएगा, जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है, अर्थात्-

(i) उक्त व्यक्ति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को देना या निविदत्त करना; अथवा

(ii) उक्त व्यक्ति को उसके आवास पर अथवा उसके अंतिम ज्ञात पते पर अथवा उसके अंतिम व्यावसायिक पते अथवा उस कार्यस्थल पर जहां वह व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है अथवा उस पते पर, जहां उसने लाभ प्राप्ति के लिए अंतिम बार कार्य किया था, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से; अथवा

(iii) यदि खंड (i) अथवा (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी रीति से नोटिस की तामील नहीं की जा सकती है तो उस परिसर के बाहरी दरवाजे पर अथवा सहजदृश्य हिस्से पर उसे चिपकाया जाएगा जहां वह व्यक्ति रहता है अथवा अंतिम बार रहा है अथवा व्यवसाय किया है अथवा व्यक्तिगत रूप से करता है अथवा लाभ हेतु कार्य किया था।

5. अपील — अधिनियम की धारा 31कक की उप-धारा (2) के अधीन आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्ररूप 4 में अपील की जाएगी।

(2) अपील के साथ न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न होगी तथा उन तथ्यों का विवरण प्रदान किया जाएगा, जिनके विरुद्ध अपील की गई है, अपील का आधार तथा अधिनियम की सुसंगत धारा का उल्लेख होगा।

(3) अपील, अपीलकर्ता द्वारा स्वयं अथवा लिखित रूप से अधिकृत अपने प्रतिनिधि द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फाइल की जा सकती है।

(4) डाक से भेजी गई अपील, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उस तारीख को फाइल की गई मानी जाएगी, जिस तारीख को वह प्राप्त हुई है।

(5) यदि जांच करने पर अपील सही पाई जाती है, तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा और यदि अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी त्रुटि के बारे में अपीलकर्ता को सूचित करेगा तथा उसे पंद्रह दिनों के भीतर उस त्रुटि को ठीक करने की अनुमति देगा और यदि अपीलकर्ता इस समयावधि के भीतर ऐसी त्रुटि को ठीक करने में विफल रहता है तो अपीलीय प्राधिकारी आदेश द्वारा तथा लिखित रूप में कारण अभिलिखित करके ऐसी अपील को पंजीकृत करने से इंकार कर सकता है तथा अपीलकर्ता को ऐसी अस्वीकृति की सूचना सात दिन की अवधि के भीतर देनी होगी।

(6) अपील स्वीकार होने पर, अपीलीय प्राधिकारी प्रतिवादी को अपील की एक प्रति भेजेगा जिसके साथ ही एक नोटिस भी देगा जिसमें उसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो तीस दिन से अधिक नहीं होगी, अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

(7) नोटिस, व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट से अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील कराया जाएगा।

(8) अपीलीय प्राधिकारी, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी से कार्यवाही से संबंधित अभिलेख मंगवा सकता है।

(9) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा आदेश पारित करेगा जिसे वह उचित समझे।

(10) अपीलीय प्राधिकारी अपील की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान कर देगा।

6. समयावधि बढ़ाना -न्यायनिर्णयन अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, जहां कार्यवाही करने में विलंब या विफल रहने के उचित कारण विद्यमान हैं, इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अवधि को तब तक बढ़ा सकता है, जिसे वह उचित समझे।

7. आदेश और शास्तियाँ — (1) इन नियमों के अधीन प्रत्येक आदेश पर तारीख अंकित होगी, हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा सभी पक्षों को सूचित किया जाएगा तथा डिजिटल माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) इन नियमों के अधीन शास्ति के रूप में वसूली गई समस्त राशि भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी।

(3) यदि अधिरोपित शास्ति की राशि साठ दिनों के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो यथास्थिति न्यायनिर्णयन अधिकारी अथवा, यथास्थिति अपीलीय प्राधिकारी प्ररूप-5 में कलेक्टर को प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा, जो उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में करेगा।

[फा. सं. K-20017/12/2026-DD(V)]

डी. तारा, सचिव

प्ररूप 1

(*नियम 3 देखें*)

सेवा में,

न्यायनिर्णयन अधिकारी

.....

शिकायतकर्ता का विवरण:-

क. नाम:

ख. तामील हेतु पता:

ग. दूरभाष संख्या:

घ. ईमेल (तामील हेतु):

2. शिकायत का विवरण:-

क. अभिकथित उल्लंघन होने की तिथि, समय और घटना:

ख. सभी सुगंत सामग्री के विवरण सहित उल्लंघन का ब्यौरा:

ग. विवरण के समर्थन में साक्ष्य:

घ. लागत के विस्तृत ब्यौरे सहित नुकसान की अनुमानित रकम (वित्तीय संदर्भ में)

मैं/हम..... शिकायतकर्ता घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं कि यहां वर्णित तथ्य मेरी/हमारी पूरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

3. शिकायतकर्ता का नाम और हस्ताक्षर:

नोट- जो भी लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप 2

[*नियम 4 का उप-नियम (1) देखें*]

सेवा में

……

……

……

कारण बताओ नोटिस

विषय: दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (उपबंधों/धाराओं) का उल्लंघन।

महोदय/महोदया,

दिनांक (प्रति संलग्न) को प्राप्त सूचना के अनुसार,पर दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा …… का उल्लंघन किया गया है।

2. उपरोक्त उल्लंघन के लिए शास्ति लगाई जा सकती है। अत: आप यह नोटिस प्राप्त होने की तिथि से दिनों की अवधि के भीतर कारण बताएं कि शास्ति लगाने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा के अधीन आपके विरूद्ध जांच क्यों न शुरू की जाए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(न्यायनिर्णयन अधिकारी)

स्थान:

तारीख:

प्ररूप 3

उल्लंघनकर्ता द्वारा अथवा उसकी ओर से दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करना

[*नियम 4 का उप-नियम (5) देखें*]

सेवा में,

…….

……

……

1) मैं/हम

.....

.....

.....तारीख

के कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में, निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत करते हैं।

.....

.....

2) पोस्टल इंडैक्स संख्या/कोड और राज्य सहित पूरा पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल:

3) उल्लंघनकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

4) हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व मोबाइल नंबर:

प्ररूप 4

अपील

[*नियम 5 का उप-नियम (1) देखें*]

सेवा में,

अपीलीय प्राधिकारी,

……..

……..

……..

1. आवेदक का विवरणः

(i) नामः

(ii) पत्राचार का पताः

(iii) फोन नंबरः

(iv) ई-मेल:

2. अपील का आधारः

(न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न की जाए)

3. न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की तारीखः

4. तथ्यों का विवरणः

मैं/हम..... अपीलकर्ता यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि यहां उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं।

5. अपीलकर्ता के हस्ताक्षर और तारीखः

6. अपीलकर्ता का नामः

प्ररूप 5

[*नियम 7 का उप-नियम (3) देखें*]

(इन नियमों के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 31क क (6) के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी से कलेक्टर को प्रमाण पत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पर के संबंध में सेतक की अवधि के लिए शास्ति के तौर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की रुपये (..... रुपये) की राशि बकाया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (जांच करने तथा शास्तियाँ अधिरोपित करने की रीति) नियम, 2026 के नियम 14 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 31क क (6) के तहत मैं, _____, न्यायनिर्णयन अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी, आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस राशि की वसूली भूमि राजस्व के बकाया के रूप में की जाए।

(न्यायनिर्णयन अधिकारी/ अपीलीय प्राधिकारी)

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2026

G.S.R. 698(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (jaa) and (jab) of sub-section (2) of the section 56, read with sub-section (1) and (2) of the section 31AA of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government and in consultation with the Authority hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Manner of Holding Inquiry and Imposing Penalties) Rules 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957);

(b) "adjudicating officer" means an officer appointed under sub-section (1) of section 31AA of the Act;

(c) "appellate authority" means an officer appointed under sub- section (2) of section 31AA of the Act;

(d) "Form" means Form annexed to these rules.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Complainant. — Any person may file a complaint in Form 1 through electronic means or speed post to the adjudicating officer for imposing penalties regarding contravention committed under section 29 and sub-section (5) of section 31 of the Act.

4. Holding of inquiry. — (1) For the purpose of adjudication of penalties under sub-section (1) of section 31AA of the Act, on receipt of any complaint indicating any contravention of any provision of any section specified therein, the adjudicating officer shall, issue a notice in Form 2 to such person, requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than seven days from the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.

(2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.

(3) After considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a representative duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.

(4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, the contravention committed by such person and the provision of the Act, in respect of which contravention is alleged to have been committed.

(5) The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce such documents or evidence under Form 3 as he may consider relevant to the inquiry, and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date (not later than fifteen days from the first date and up to a maximum of three dates) and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).

(6) If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-rule (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

(7) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may by order in writing, impose such penalty under the Act as applicable.

(8) Every order made under sub-rule (7) shall specify the provision of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.

(9) Every order made under sub-rule (7) shall be dated and signed by the adjudicating officer.

(10) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be supplied free of cost to the person against whom the inquiry was held.

(11) The adjudicating officer shall complete the proceeding within three months from the issuance of the notice to the person against whom the inquiry was held.

(12) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom an inquiry is held, in any of the following manner, namely: —

(i) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or

(ii) by sending it to the person through electronic means or by speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or

(iii) If it cannot be served in the manner specified under clauses (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain.

5. Appeal. — (1) An appeal under sub-section (2) of the section 31AA of the Act shall be made to the appellate authority in Form 4 within a period of thirty days from the date of receipt of the order.

(2) The appeal shall be accompanied by a copy of order of adjudicating officer and a statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant section of the Act.

(3) The appeal may be filed by the appellant in person or by his representative duly authorised in writing, or by speed post or through electronic means.

(4) The appeal sent by post shall be deemed to have been filed to the appellate authority on the day it is received.

(5) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and in case the appeal is found to be defective, the appellate authority shall intimate the appellant about the defects and allow him to rectify the defects within fifteen days and if the appellant fails to rectify such defects within the time period, the appellate authority may by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register such appeal and communicate such refusal to the appellant with a period of seven days thereof.

(6) On admission of the appeal, the appellate authority shall serve a copy of appeal to respondent along with a notice requiring him to file his reply thereto, within a period, not exceeding thirty days, as may be specified by the appellate authority in the said notice.

(7) The notice may be served by hand or by speed post or through electronic means.

(8) The appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the adjudicating officer.

(9) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as it may consider reasonable.

(10) The appellate authority shall dispose of the appeal within sixty days from the date of appeal.

6. Extension of time.— The adjudicating officer or the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period specified in these rules till such period as it considers reasonable.

7. Order and penalties. — (1) Every order under these rules, shall be dated, signed and communicated to all the parties and shall be placed in public domain through digital mode.

(2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India.

(3) If penalties imposed is not deposited within sixty days, then the adjudicating officer or appellate authority, as the case may be, may issue a certificate in Form 5, to the Collector who shall proceed to recover the same as an arrear of land revenue.

[F. No. K-20017/12/2026-DD(V)]

D. THARA, Secy.

Form 1

(*See rule 3*)

To,

The Adjudicating Officer
……..

Particular of complainant:-

(a) Name:

(b) Address for service:

(c) Contact No.

(d) Email (for service):

2. Particulars of complaint:-

(a) Date, time and instance of commission of alleged contravention:

(b) Statement of contravention setting out all relevant material particulars:

(c) Evidence in support of the statement:

(d) Tentative amount of damage (in pecuniary terms) with cost break-up.

I/We…….. the complainant ……..herein declare that the facts stated herein are correct to the best of my/our knowledge.

3. Name and Signature of the Complainant:

Note: Strike out whichever is not applicable.

Form 2

[*See sub-rule (1) of rule 4*]

To
……
……
……

SHOW CAUSE NOTICE

Sub: Contravention of (provisions/section) of the Delhi Development Act, 1957.

Sir/Madam,

As per intimation dated …….(copy enclosed), a contravention has been committed under section ……of the Delhi Development Act, 1957 at ……..

2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of…… days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under section ……. of the Delhi Development Act, 1957 for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, further action shall be taken under the said Act.

(Adjudicating officer)

Place: ……

Date: ……...

Form 3

Furnishing of document or evidence by or on behalf of the contravener

[*See sub-rule (5) of rule 4*]

To
……
……
……

1. I/we
……
……..
……
…….....
……
……..
hereby give a statement in reference to the show cause notice dated
…….
……
……..

2. Complete address including postal index number/code and state along with mobile number and e-mail:

3. Signature of the contravener or his authorised representative:

4. Name of the person along with mobile number who has signed:

Form 4

Appeal

[*See sub-rule (1) of rule 5*]

To

Appellate Authority,

……..

……..

……..

1. Particulars of appellant:

(i) Name:

(ii) Address for correspondence:

(iii) Contact Number:

(iv) Email:

2. Grounds of appeal :
(A copy of order of adjudicating officer to be enclosed)

3. Date of order of the adjudicating officer:

4. Statement of facts:

I/We……, the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.

5. Signature of appellant and date:

6. Name of appellant:

Form 5
[*See sub-rule (3) of rule 7*]

(Certificate under section 31AA (6) of the Act read with Rule 7 of these Rules from Adjudicating Officer/Appellate Authority to the Collector)

This is to certify that an amount of Rs. ……. (Rupees ……) is due to the Delhi Development Authority from Shri/Smt./Km……. in respect of …… for the period from …… to …….on account of penalties.

In pursuance of section 31AA (6) of the Delhi Development Act, 1957 read with rule 14 of the Delhi Development Authority (Manner of Holding Inquiry and Imposing Penalties) Rules, 2026, I, _____, Adjudicating Officer/ Appellate Authority, request you to proceed to recover the same as arrears of land revenue.

(Adjudicating Officer/ Appellate Authority)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA